

# 'गर्मी के मौसम में आमजन को नहीं हो कोई परेशानी'

## मुख्यमंत्री ने पानी-बिजली आपूर्ति को लेकर दिए सख्त निर्देश

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गर्मी के मौसम को देखते हुए प्रदेश में पेयजल एवं बिजली आपूर्ति व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पानी और बिजली आपूर्ति को लेकर आमजन को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में शिकायतें प्राप्त होने पर संबंधित जिला कलक्टर एवं विभागीय अधिकारियों को जिम्मेदारी तय होगी।

मुख्यमंत्री ने बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित बैठक में निर्देश दिए कि सभी जिला कलक्टर नियमित रूप से पानी-बिजली आपूर्ति को लेकर साप्ताहिक बैठकें कर निरंतर मॉनिटरिंग करें। संबंधित शिकायतों का विभागीय अधिकारी प्राथमिकता के साथ त्वरित

- शिकायतों की हो नियमित मॉनिटरिंग, असुविधा होने पर जिला कलक्टर की जिम्मेदारी होगी तय
- 'आमजन को राहत पहुंचाना राज्य सरकार की प्राथमिकता'
- किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार्य नहीं : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि गर्मी के दौरान आमजन को राहत पहुंचाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने अस्पतालों में साफ-सफाई, पेयजल एवं आवश्यक सुविधाओं की नियमित निगरानी के निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के कार्यों को प्रभावी

रूप से पूरा करना राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के दौरान इस योजना में अनियमितताएं हुईं तथा कई कार्य अधूरे रह गए, जिससे आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रगतिरत कार्यों को लक्ष्य निर्धारण के साथ तय समयसीमा में पूरा करें तथा

इसकी विस्तृत रिपोर्ट भी तैयार करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील के अनुरूप पेट्रोल-डीजल बचत के लिए सभी अधिकारी भी वाहनों के उपयोग में मितव्ययिता बरतें। उन्होंने कहा कि अधिकारी वाहनों का न्यूनतम उपयोग करें तथा अधिकाधिक कार पब्लिक व्यवस्था अपनाएं। साथ ही, जिलों में वीसी के माध्यम से बैठकों को प्राथमिकता दें। उन्होंने मुख्य सचिव को सभी जिला कलक्टर को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी करने के लिए कहा।

इस दौरान मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सहित मुख्यमंत्री कार्यालय, जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग, वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।

## 'जेडीए उच्चतम बोलीदाता को सौंपे भूमि का कब्जा'

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने सांगानेर एयरपोर्ट के पास स्थित भूमि के स्वामित्व से जुड़े मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही अदालत ने जेडीए को कहा है कि वह उच्चतम बोली लगाने वाली एएमबी होटल्स प्रा. लि. को नई डिमांड जारी करे और शेष राशि जमा होने पर भूमि का कब्जा उसे सौंपे। जस्टिस गणेश राम मोणा की एकलपीठ ने यह आदेश गोपाल लाल की ओर से 18 साल पहले दायर याचिका का निस्तारण करते हुए दिए। याचिका में कहा गया कि उनकी भूमि राजस्व ग्राम चैनपुरी में स्थित है। भूमि को पूर्ववर्ती यूआईटी ने इस भूमि को अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित किया था, लेकिन योजना लागू नहीं हो सकी। वहीं जेडीए ने उसकी सीमा दीवार को तोड़ दिया और साल 2007 में नीलामी कर दी। याचिका में कहा गया कि सांगानेर के सहायक सेटलमेंट अधिकारी के नवंबर, 1985 के आदेश से उसका नाम खातेदारी में दर्ज है। वहीं यदि भूमि को अवाप्त माना जाए तो सरकार के मई, 2000 के परिपत्र के आधार पर उसे 25 फीसदी भूमि देनी चाहिए जिसका विरोध करते हुए जेडीए की ओर से अधिवक्ता अमित कुडी ने कहा कि जमीन का 3 जून, 1981 को अवाप्त जारी हो गया था और साल 1982 को जेडीए इसका कब्जा ले चुकी थी। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिका को खारिज करते हुए नीलामी की उच्चतम बोलीदाता को शेष राशि जमा कराने पर भूमि का कब्जा देने को कहा है।

## खाद्य सुरक्षा विभाग की दूध केंद्रों पर छापेमारी

जयपुर। राजस्थान सरकार द्वारा मिलावटखोरों के खिलाफ चलाए जा रहे शुद्ध आहार, मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने बुधवार को जयपुर द्वितीय क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए दूध संकलन केंद्रों और बल्क मिल्क कूलर्स (बीएमसी) पर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान विभिन्न श्रेणियों

के दूध के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए। कार्रवाई आयुक्त (खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण) डॉ. टी. शुभमंगला के निर्देश एवं अतिरिक्त खाद्य आयुक्त भगवत सिंह के सुपरविजन में की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय डॉ. मनीष मित्तल ने बताया

कि विभाग को मिले विशेष निर्देशों के बाद गठित टीमों ने दूध, बगरू और दही कलां क्षेत्रों में सघन अभियान चलाया। निरीक्षण के दौरान दूध संकलनकर्ता फर्मों और बीएमसी केंद्रों की गहन जांच की गई। जांच दल को संदिग्ध प्रतीत होने वाले दूध के नमूने एकत्रित कर खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाला भेजे गए हैं।

**RIICO**

**RAJASTHAN**

### जयपुर की प्राइम लोकेशन

**टॉक रोड तथा बी 2 बाईपास जंक्शन के पास प्रस्तावित राजस्थान मण्डपम के नजदीक होटल भूखण्डों का आवंटन**

सरल ई-नीलामी के माध्यम से

जयपुर में विश्वस्तरीय पांच सितारा होटल विकसित करने हेतु सुनहरा अवसर

<b>ईएमडी</b>	<b>आरम्भ तिथि: 14 मई, 2026 (प्रातः 10:00 बजे)</b>	<b>ऑनलाइन बidding</b>
	<b>अंतिम तिथि: 28 मई, 2026 (सायं 06:00 बजे)</b>	<b>आरम्भ तिथि: 29 मई, 2026 (प्रातः 10:00 बजे)</b>
		<b>अंतिम तिथि: 01 जून, 2026 (सायं 05:00 बजे)</b>

**भूखण्ड विवरण**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• भूखण्ड संख्या - H-1</li> <li>• क्षेत्रफल - 28,250 वर्ग मीटर</li> <li>• आवंटित दर - ₹1,50,000 प्रति वर्गमीटर</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• भूखण्ड संख्या - H-2</li> <li>• क्षेत्रफल - 20,025 वर्ग मीटर</li> <li>• आवंटित दर - ₹1,50,000 प्रति वर्गमीटर</li> </ul>
---	---

**बिल्डिंग पैरामीटर्स**

**Maximum Ground Coverage : 35 % || B.A.R. (Standard) : 2.0**

**Maximum Height of Building : 1.50 Times of Road Width + Front Setback**

**भुगतान संबंधी शर्तें**

25% भुगतान के बाद, शेष 75% भुगतान 3 त्रैमासिक किस्तों में 8.5% ब्याज के साथ या 120 दिनों के भीतर ब्याज रहित भुगतान

भूखण्ड की कुल प्रीमियम राशि पर जीएसटी अतिरिक्त देय होगा

**राजस्थान स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इन्व्हेस्टमेंट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड**

उद्योग भवन, विलक मार्ग, सी-स्कैन, जयपुर 302005

जयपुर (दक्षिण) इकाई कार्यालय- वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक- 9414061911 ईमेल/फोन नं. 0141-4593250, 4593237, कार्डसर्फ +91 9001306515, आवंटन से संबंधित त्रिवर्गीय एवं शर्तों, ईएमडी विवरण, रजिस्ट्रेशन एवं भूखण्ड से संबंधित जानकारी हेतु रीको के इकाई कार्यालय जयपुर (दक्षिण), मालवीय नगर में संपर्क करें या देखें <https://riico.rajasthan.gov.in>

## ऑनलाइन कंपनी के पार्सल लूटने वाली गैंग का पर्दाफाश

जयपुर। सांगानेर सदर थाना पुलिस ने ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी के पार्सलों की दिनदहाड़े लूट की वारदात का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटे गए 1135 पार्सल और वारदात में प्रयुक्त स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की है। बरामद माल की कीमत करीब चार लाख रुपए आंकी गई है।

पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) राजर्षि राज वर्मा ने बताया कि 7 मई 2026 को परिव्राटी दिल्ली मार्ग से सांगानेर सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि वह कंपनी के पार्सल लेकर मद्रासपुरा स्थित वेयरहाउस जा रहा था। इसी दौरान स्कॉर्पियो सवार अनिल चौधरी और उसके साथियों ने रास्ते में उसे रोक लिया।

आरोपियों ने दिल्ली का अपहरण कर उसे रिंग रोड स्थित सीतारामपुरा टोल प्लाजा के पास ले गए और वाहन में रखे 1386 पार्सल, मोबाइल फोन और गाड़ी की बैटरी लूटकर फरार हो गए। वहीं इस घटना की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त ललित किशोर

शर्मा और एसपी चक्रवर्ती भवानी सिंह के निर्देशन में थानाधिकारी अनिल जैमनी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। पुलिस ने घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर दबिश देकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार आरोपियों में अनिल चौधरी (24) निवासी देवपुरा, फागी और रामप्रसाद जाट (31) निवासी देवपुरा, फागी शामिल हैं। पूछताछ में सामने आया कि मुख्य आरोपी अनिल चौधरी पहले इसी ऑनलाइन कंपनी में पार्सल डिलीवरी का काम करता था। उसे कंपनी के रूट और कार्यप्रणाली की पूरी जानकारी थी।

पुलिस के अनुसार अनिल को लज्जरी लाइफ जीने का शौक था, लेकिन कम सैलरी के कारण उसके खर्च पूरे नहीं हो रहे थे। इसी वजह से उसने साथी रामप्रसाद और फरार आरोपी रोहित देवन्दा को मोटी कमाई का लालच देकर लूट की साजिश रची। पुलिस ने आरोपियों से कुर्तियां और बेडशीट सहित 1135 पार्सल बरामद कर लिए हैं।

## अपरा एकादशी मनाई

जयपुर। सुभाष चौक पानो का दरवा स्थित श्री शुक सम्प्रदाय आचार्य पीठ सरस निकुंज के में आयोजित अष्टयाम सेवा महोत्सव के अंतर्गत बुधवार को अपरा एकादशी पर रास महोत्सव

संपन्न हुआ। श्री शुक सम्प्रदाय पीठाधीश्वर अलबेली माधुरी शरण महाराज के सान्निध्य में टाकुर श्री राधा सरस विहारी जू सरकार के दिव्य दर्शन कराए गए।

## आईटीएटी रिश्वत प्रकरण में न्यायिक सदस्य को जमानत से इनकार

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने आयकर अपील न्यायिक अधिकरण में रिश्वत से जुड़े मामले में न्यायिक सदस्य रही एस. सीतालक्ष्मी को राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि आरोपी के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोप प्रथम दृष्टया गंभीर प्रकृति के हैं और इस स्तर पर उसे जमानत देना उचित नहीं है। जस्टिस चन्द्रप्रकाश श्रीमाली की एकलपीठ ने यह आदेश एस. सीतालक्ष्मी की ओर से दायर द्वितीय जमानत याचिका को खारिज करते हुए दिए।

अदालत ने कहा कि आरोपी ने पत्र पेश होने के बाद अभियोजन स्वीकृति जारी नहीं हुई, जबकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम को धारा 19 के

कॉलोनाइजर्स तथा डेवलपर्स प्रा. लि. के पक्ष में निर्णय पारित कर लगभग 90 करोड़ रुपये की पेनल्टी माफ कर दी। वहीं रिश्वत के तौर पर 50 लाख रुपए में से 30 लाख रुपए खुद ने लिए, जो उसके निवास पर सरकारी वाहन से बरामद हुए। अनुसंधान में यह भी सामने आया कि उसके घर की तलाशी में एक नेकलेस व एक आईफोन भी बरामद हुआ और इन्हें भी उसने रिश्वत के तौर पर लिया था।

जमानत याचिका में कहा गया कि मामले में गत 22 जनवरी को आरोप पत्र पेश होने के बाद अभियोजन स्वीकृति जारी नहीं हुई, जबकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम को धारा 19 के

तहत मंजूरी मिलनी चाहिए। उस पर आरोप है कि उसने गोकुल कृपा कॉलोनाइजर्स से रिश्वत राशि ली। वहीं इस फर्म के निदेशक सुमेर सिंह सैनी को पूर्व में जमानत हो चुकी है। आरोपी महिला हैं और उसके वृद्ध ससुर गंभीर बीमार हैं। आरोपी का जयपुर से तबादला हो चुका है, इसलिए गवाहों को प्रभावित करने की आशंका नहीं है, इसलिए जमानत दी जाए। जिसका विरोध करते हुए सीबीआई की ओर से अधिवक्ता प्रदीप कुमार ने कहा कि केवल महिला होने के आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया है।

# MGH है, तो भरोसा है

## सम्पूर्ण उपचार सेवाएं एक ही स्थान पर

सुपर स्पेशियलिटी जनरल स्पेशियलिटीज कंप्यूटराइज्ड जांच सेवाएं आपातकालीन सेवाएं

**कैंसर चिकित्सा**

- कीमोथेरेपी • रेडियो थेरेपी • बोनमैरो ट्रांसप्लांट
- सभी प्रकार के कैंसर ऑपरेशन, जांच व उपचार

**लिवर ट्रांसप्लांट**

बच्चों एवं वयस्कों के पेट, लिवर, आंत रोगों का मेडिकल व सर्जिकल उपचार

**किडनी प्रत्यारोपण, गुर्दा रोग, यूरोलॉजी**

• बच्चों व वयस्कों के किडनी व पेशाब सम्बंधी उपचार

**हृदय रोग, EP & RFA हृदय शल्य चिकित्सा**

शिशु एवं वयस्कों के सभी प्रकार के हृदय रोगों की जांच व उपचार सेवाएं

**न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी न्यूरोइंटरवेंशन उपचार**

**जोड़ प्रत्यारोपण स्पोर्ट्स इंजरी**

बोन कैंसर उपचार एवं ट्रॉमा सेवाएं

**निसंतानता, स्त्री एवं प्रसूति रोग**

- IVF उपचार सेवाएं • स्त्री रोगों के रोबोटिक, लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन

**शिशु एवं बाल रोग की सम्पूर्ण सुपर स्पेशियलिटी सेवाएं**

- शिशु आपातकालीन सेवाएं • शिशु श्वास रोग • बाल गहन चिकित्सा • नवजात रोग • शिशु हृदय रोग, हृदय शल्य चिकित्सा
- शिशु पेट, लिवर रोग एवं लिवर ट्रांसप्लांट • शिशु शल्य चिकित्सा • शिशु गुर्दा रोग • डायलिसिस, किडनी ट्रांसप्लांट
- शिशु न्यूरोलॉजी एवं एपिलेप्सी • शिशु हार्मोन रोग व डायबिटीज • शिशु रक्त एवं कैंसर रोग व बोन मैरो ट्रांसप्लांट • अनुवांशिक रोग

इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ - बच्चों के (0 से 18 वर्ष) शारीरिक, मानसिक विकास एवं स्वास्थ्य सेवाएं **NICU, PICU**

**सायबरनाइफ S7**

कैंसर उपचार की अत्याधुनिक रोबोटिक रेडियोसर्जरी तकनीक

**2800+ किडनी ट्रांसप्लांट्स** | **172+ लिवर ट्रांसप्लांट्स** | **250+ बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स**

1450 बैड्स | 550+ डॉक्टर्स | 1000+ नर्सिंगकर्मी | 350+ ICU एवं क्रिटिकल केयर बैड्स

**रोबोटिक सर्जरी**

जटिल रोगों के ऑपरेशन की अत्याधुनिक तकनीक

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (MAA) | राजस्थान गर्भवर्ती हेल्थ स्कीम (RGHS)

योजना के लाभार्थियों के लिए ECHS, CGHS, All Major Mediclaim Cos. & TPAs से उपचार हेतु अधिकृत

**रीको इंस्टीट्यूशनल एरिया, सीतापुरा, टॉक रोड, जयपुर - 302022** फोन : 0141-2771777, 2771001-2-3 Website : [www.mgumst.org](http://www.mgumst.org)

**टोल फ्री नं. 18001806002** **हैल्पलाइन नं. 8107677888**

CMYK

CMYK

राज.संवाद/सी/26/2732

CMYK

CMYK

SHAKUN